प्रेस नोट

जनपद भदोही **दिनांक-06.05.2024**

◆जनपदीय पुलिस द्वारा गौ-तस्कर/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही

◆थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी

◆10-10 हजार रुपये पुरस्कार घोषित/गौ-तस्करी में लिप्त गैंग के दो सदस्य अवैध तमंचा मय कारतूस व चाकू के साथ चढे पुलिस के हत्थे

◆कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस व एक अदद चाकू बरामद

◆गैंग सरगना को पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल

◆पूर्व में मौके से फरार गौ-तस्करों के कब्जे से पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक वध हेतु ले जाए जा रहे 08 राशि गोवंश किया गया था बरामद

◆गिरफ्तारशुदा गौ तस्करों के विरुद्ध जनपद भदोही व प्रयागराज में गैंगस्टर, गौ-तस्करी व आयुध अधिनियम सहित गंभीर धाराओं के लगभग एक दर्जन अभियोग हैं पंजीकृत

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के दृष्टिगत डॉ0 मीनाक्षी कात्यायन, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा गैंगस्टर/गौ-तस्कर व पुरस्कार घोषित अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार प्रभावी पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। गैंगस्टर/वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 06.05.2024 को थानाध्यक्ष ज्ञानपुर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 10-10 हजार रुपये पुरस्कार घोषित/ गौ-तस्करी में लिप्त गिरोह के दो वांछित अभियुक्तों- सुरेश कुमार बिंद उम्र करीब 34 वर्ष व राजेश कुमार बिंद उम्र करीब 32 वर्ष पुत्रगण धर्मराज बिंद निवासीगण ग्राम कांगापुर थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज को क्रमशः एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद कारतूस व एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गैंग सरगना पंधारी बिंद को पूर्व में दिनांक 24.03.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

दिनांक-3/4.02.2024 की रात्रि में थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम द्वारा मौके से फरार गौ तस्करों के कब्जे से पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक वध हेतु ले जाए जा रहे 08 राशि गोवंश बरामद किया गया था। उक्त बरामदगी के संबंध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-13/2024 धारा-3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रुरता अधिनियम व 207 एम.वी एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आए गौ तस्कर लगातार फरार/वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा 10-10 हजार रुपये पुरस्कार घोषित किया गया। गिरफ्तारशुदा गौ तस्करों के कब्जे से अवैध तमंचा व चाकू बरामदगी के संबंध में गौ तस्करों के विरुद्ध मु0अ0सं0-47/2024 धारा-3/4/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के उपरांत चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा गौ तस्करों के विरुद्ध जनपद भदोही व प्रयागराज में गैंगस्टर, गौ- तस्करी व आयुध अधिनियम सहित गंभीर धाराओं के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तारशुदा पुरस्कार घोषित अभियुक्तों का नाम व पता-

सुरेश कुमार बिंद उम्र करीब 34 वर्ष व राजेश कुमार बिंद उम्र करीब 32 वर्ष पुत्रगण धर्मराज बिंद निवासीगण ग्राम कांगापुर थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज

पुरस्कार घोषित गैंगस्टर अभियुक्त सुरेश कुमार बिंद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 13/2024 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 207 MV ACT थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही
2. मु0अ0सं0 47/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही
3. मु0अ0सं0 26/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 307/427 भादवि थाना हंडिया जनपद प्रयागराज
4. मु0अ0सं0 144/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हंडिया जनपद प्रयागराज
5. मु0अ0सं0 930/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना हंडिया जनपद प्रयागराज

पुरस्कार घोषित गैंगस्टर अभियुक्त राजेश कुमार बिंद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 13/2024 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 207 MV ACT थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही
2. मु0अ0सं0 47/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही
3. मु0अ0सं0 26/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 307/427 भादवि थाना हंडिया जनपद प्रयागराज
4. मु0अ0सं0 930/2017 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना हंडिया जनपद प्रयागराज

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

थानाध्यक्ष ज्ञानपुर, श्री विनोद कुमार तिवारी, उ0नि0 मोहम्मद शकील खां, उ0नि0 होरीलाल, मुख्य आरक्षी हंसराज पाल, आरक्षी प्रिंस भार्गव, आरक्षी अरुण कुमार, आरक्षी नंदलाल गौड़ व आरक्षी वैभव सिंह थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही